न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, गडरारोड़

राजस्व प्रकरण सं. 54/2019 अन्तर्गत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956

सायल | बनाम | गैर सायल

राजस्थान सरकार

जरिये पटवारी हल्का [illegible]

श्री उआ पुत्र श्री भुदिन

कौम मुसलमान निवासी उनरोड़

तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

"निर्णय" दिनांक 18.07.2019

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैर सायल उपस्थिति। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का [illegible] ने धारा आर. एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं । कि गै. सा. ने मौका उनरोड़ के खसरा नं. 108 रकबा 88-06 बीघा – में से 03 बीघा किस्म [illegible] राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त/कब्जा किया हैं । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ / और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिर्पोट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन कराने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान दर रुपये 0.09 पैसा गुणा जुर्माना राशि रुपये – पूर्णाक में .... रुपये पचास अक्षरे रु. 50 मात्र से आरोपित किया जाता है । जो गैर सायल से वसूल हो ।

निरीक्षक भू.अ. वृत [illegible] को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमादनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे ।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भैतिक रुप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें ।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें ।

निर्णय दिनांक 18.07.2019 को सरेआम सुनाया गया ।

तहसीलदार गडरारोड़

जुर्माना 50 फसल नि. 400
कुल योग 450 जि. के पृष्ठ सं. 31
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया ।

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार गडरारोड़
जिला-बाड़मेर

Scanned with CamScanner